चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल के तहत जनपद के समस्त थानों की एन्टीरोमियों टीम द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित

आज दिनांक 13.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत अपने-अपने थाना क्षेत्र में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई ।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से

सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 06 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया ।

(I). उ0नि0 श्री जंगबहादुर सिंह मय हमराह का0 विवेक यादव थाना पहाड़ी द्वारा मुकदमा संख्या 2052/23 अ0सं0 125/13 धारा 354ख,509,323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र स्व0 रामशरन उर्फ बड़कू उम्र करीब 49 वर्ष निवासी बाबूपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(II). उ0नि0 श्री दशरथ सिंह मय हमराह मुख्य आरक्षी उमेश कुमार थाना मारकुण्डी द्वारा मु0अ0सं0 88/17 धारा 147,148,342,353,332,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त मुन्नालाल मवासी उर्फ बेटावन पुत्र जुगल किशोर निवासी टिकरिया रेलवे स्टेशन थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(III). उ0नि0 श्री प्रवेश यादव मय हमराह मुख्य आरक्षी बृजेन्द्र सिंह व आरक्षी अनिल यादव थाना सरधुवा द्वारा मु0नं0 206/2022 मु0अ0सं0 26/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के वारण्टी अभियुक्त अली हसन पुत्र बबलू खान निवासी ग्राम बेहनन का पुरवा मजरा सुरवल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(IV). उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव चौकी प्रभारी गनीवा मय हमराह मुख्य आरक्षी वीरेन्द्र कुमार व आरक्षी राहुल दीक्षित थाना राजापुर द्वारा मु0नं0 9545/2022 मु0अ0सं0 115/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त भगवानदीन पुत्र किशोरा रैदास निवासी चनहट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट उम्र 70 वर्ष व मु0नं0 199/11 मु0अ0सं0 2940/2011 धारा 325,323,504,406 भादवि0 राजेश पुत्र माता बदल निवासी गोसाईपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

(V). उ0नि0 श्री संतोष कुमार सिंह मय हमराह आरक्षी रवि यादव थाना राजापुर द्वारा मु0नं0 485/2018 मु0अ0सं0 32/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त राजेश केशरवानी पुत्र भइयालाल निवासी गयागंज कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट उम्र 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

(VI) उ0नि0 श्री अनिल कुमार मय हमराह आरक्षी सोनपाल थाना मऊ द्वारा मु0अ0सं0 36/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त छोटेलाल उर्फ छोटई पुत्र नत्थू केवट निवासी चकौर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(VII) उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय मय हमराह आरक्षी रोशन यादव, आरक्षी चालक राघवेन्द्र राजपूत थाना बहिलपुरवा द्वारा मु0अ0सं0 46/12 धारा 325,323,504,506 आईपीसी के वारण्टी अभियुक्त रामू पुत्र खिल्ली

निवासी मडौयन थाना बहिलपुरवा एवं मु0अ0स0 38/19 धारा 504,506 आईपीसी के वारण्टी अभियुक्त लुधुवा पुत्र फलोदा निवासी बेलोहन पुरवा थाना बहिलपरुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(VIII) उ0नि0 श्री हारुन रशीद मय हमराह आरक्षी मोनू राय थाना बहिलपुरवा द्वारा मु0अ0सं0 27/24 धारा 323,504,506 आईपीसी के वारण्टी अभियुक्त रिंकू पुत्र कल्लू निवासी ग्राम घाटाकोलान थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(3).आज दिनांक 23.08.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा आगामी श्रावण मास सोमवार एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद में कांवड़ श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित किए जाने हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। सर्वप्रथम रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान रामघाट स्थित मंदाकिनी नदी एवं घाटों के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष रूप से जायजा लिया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत घाटों पर पर्याप्त बैरिकेडिंग, पुलिस बल की तैनाती एवं सतर्क निगरानी रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही श्रद्धालुओं के बढ़ते आवागमन को देखते हुए घाटों एवं आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रद्धालुओं को निर्धारित एवं सुरक्षित स्थानों पर ही स्नान करने, नदी के गहरे पानी की ओर न जाने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने हेतु लगातार जागरूक किए जाने के निर्देश दिए गए। ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को सतर्कता एवं संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी करने, श्रद्धालुओं के साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखने तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।